

प्रारूप
प्रेस – विज्ञापित
राजस्व विभाग, उ०प्र०
लेखपाल भर्ती परीक्षा – 2015

जनपद का नाम – मऊ

परीक्षा का नाम : लेखपाल राजस्व

विज्ञापन संख्या- १६१ / भूलेख-

दिनांक 17 जून 2015

आवेदन पत्र स्वीकार (Submit) किये जाने की अंतिम तिथि- 22 जुलाई, 2015

परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि- 21 जुलाई, 2015

प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा लेखपाल के पद पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से निर्धारित प्रारूप पर ऑन-लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। लिखित परीक्षा दिनांक 30 अगस्त, 2015 को किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा के समय तथा स्थल का उल्लेख प्रवेश पत्र पर उल्लिखित रहेगा, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा ऑन-लाइन प्राप्त किया जा सकता है।

रिक्तियों का विवरण

क्रम	पदनाम	दिनांक 01.07.2015 को आयु	वेतनमान	कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ी जाति	पद हेतु शैक्षिक अर्हता	पद हेतु अधिमानी अर्हता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लेखपाल	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष	₹ 5200- 20200 (ग्रेड पे- 2000)	280	181	52	4	43	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की इण्टरमीडियट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण	1-प्रदेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या 2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

1- लेखपाल पदों पर भर्ती उ०प्र० लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित 2014 एवं समय समय पर जारी किये गये शासनादेश एवं परिषदादेश के अनुसार लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा 80 अंक की तथा साक्षात्कार 20 अंक का होगा।

2- दिनांक 01.07.2015 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है साथ ही उक्त दिनांक को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक न हो। रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित उ०प्र० के भूतपूर्व सैनिकों, उ०प्र० समाज के विकलांगों तथा उ०प्र० की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त कार्मिक अनुभाग 2

की अधिसूचना संख्या 18/2/81-का-2/2012 दिनांक 06 जून 2012 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली 1972 (दसवां संशोधन) नियमावली 2012 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट अनुमत्य होगी।

3- ऑन-लाइन फार्म दिनांक 22.06.2015 से दिनांक 22.07.2015 तक जमा किये जा सकेंगे। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से रू० 300/- (+ बैंक प्रभार अतिरिक्त) तथा उ०प्र० के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को रू० 150/- (+ बैंक प्रभार अतिरिक्त) का आवेदन शुल्क ई-चालान के माध्यम से जिलाधिकारी के पक्ष में देय होगा, जिसका उल्लेख ऑन लाइन आवेदन प्रपत्र पर किया जायेगा।

4- प्रदेश के सभी जनपदों में परिषद द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।

5- परीक्षा वस्तुनिष्ठ 80 अंक की तथा साक्षात्कार 20 अंक का होगा, परीक्षा संबंधी जानकारी के संबंध में तिथि, समय और परीक्षा एवं साक्षात्कार के आयोजन स्थल उम्मीदवारों को ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा डाउनलोड किया जायेगा, जो कि परिषद की वेबसाइट <http://bor.up.nic.in> और जिले की वेबसाइट <http://mau.nic.in> पर उपलब्ध होगा।

6- ऑन लाइन आवेदन का प्रारूप, आफ लाइन परीक्षा संबंधी निर्देश अन्य सामान्य निर्देश एवं परीक्षा संबंधी अन्य प्रसांगिक जानकारी व सम्पूर्ण विवरण दिनांक 22.06.2015 से परिषद की वेबसाइट <http://bor.up.nic.in> और जिले की वेबसाइट <http://mau.nic.in> पर उपलब्ध हो जायेगा।

अध्यक्ष, चयन समिति/

जिलाधिकारी,
मऊ।

कार्यालय जिलाधिकारी, मऊ।

पत्रांक 961(1-)/सात-भूलेख (ले०प०-2015)

दिनांक : जून 17, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० अनुभाग-4, लखनऊ।
2. आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3. समस्त उप जिलाधिकारी जनपद मऊ।
4. जिला सूचना अधिकारी मऊ को इस निर्देश के साथ कि हिन्दी के दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये।

अध्यक्ष, चयन समिति/

जिलाधिकारी,
मऊ।